



Neutral Citation No. - 2026:AHC:169178

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 963 वर्ष 2026

अश्वनी कुमार और 2 अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : संग्राम सिंह, आलोक कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, जीतेन्द्र सिंह, सचिन गौड़, शम्भू मणि त्रिपाठी

न्यायालय संख्या - 83

माननीय न्यायमूर्ति चवन प्रकाश

1. प्रारंभ में ही, आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना खंड में पुनरीक्षण/शुद्धि करने की अनुमति प्रदान किए जाने की प्रार्थना की, क्योंकि टंकण संबंधी त्रुटि के कारण धारा 377 का उल्लेख गलत रूप से कर दिया गया है।
2. की गई प्रार्थना स्वीकार की जाती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता को निर्देशित किया जाता है कि आज के दिन के दौरान इस आवेदन के प्रार्थना खंड में आवश्यक शुद्धि कर लें।
4. श्री संग्राम सिंह, आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता, श्री जितेंद्र सिंह, प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
5. वर्तमान आवेदन धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदकों द्वारा निम्नलिखित प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है:

“अतः, यह अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय कृपया दिनांक 07.08.2024 के आरोप-पत्र के साथ-साथ दिनांक 29.05.2025 के संज्ञान आदेश के संबंध में वाद संख्या 16427/9 वर्ष 2025, राज्य बनाम अश्वनी एवं अन्य, जो मुकदमा अपराध संख्या 98 वर्ष 2024, धारा 498-ए, 323, 504, 506 भा.दं.सं. तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना ककरौली, जिला मुजफ्फरनगर से उत्पन्न है, की संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त करने की कृपा करे तथा आगे दिनांक 07.08.2024 के आरोप-पत्र के साथ-साथ दिनांक 29.05.2025 के संज्ञान आदेश के संबंध में वाद संख्या 16427/9 वर्ष 2025, राज्य बनाम अश्वनी एवं अन्य, जो मुकदमा अपराध संख्या 98 वर्ष 2024, धारा 498-ए, 323, 504, 506 भा.दं.सं. तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना ककरौली, जिला मुजफ्फरनगर से उत्पन्न है, की संपूर्ण कार्यवाही पर रोक लगाने की कृपा करे। तथा/अथवा इस माननीय न्यायालय द्वारा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अंतर्गत उचित एवं न्यायोचित समझे जाने वाला ऐसा अन्य एवं आगे का आदेश पारित करने की कृपा करे, अन्यथा आवेदकों को अपूरणीय क्षति एवं हानि होगी।”

6. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदकों तथा प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 ने न्यायालय के बाहर आपसी सहमति से अपने विवाद का निपटारा कर लिया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदकों ने पक्षकारों के मध्य हुए समझौते की शर्तों के आधार पर कार्यवाही को निरस्त किए जाने की प्रार्थना के साथ इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान आवेदन प्रस्तुत किया था। इस न्यायालय ने दिनांक 02.02.2026 के आदेश द्वारा पक्षकारों को पक्षकारों तथा समझौता आवेदन के सत्यापन हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था। विचारण न्यायालय ने दिनांक 16.03.2026 के आदेश द्वारा पक्षकारों तथा समझौता आवेदन, दोनों का सत्यापन कर दिया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदकों तथा प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 ने मामले में समझौता कर लिया है और प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 आवेदकों के विरुद्ध मामले को आगे नहीं चलाना चाहता है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदकों तथा प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 ने समझौते के माध्यम से अपने विवाद का निपटारा कर लिया है और इस प्रकार प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 उक्त मामले को आवेदकों के विरुद्ध आगे नहीं चलाना चाहता है। प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 आवेदकों के विरुद्ध अभियोजन वापस लेने के लिए तैयार है और समझौते के दृष्टिगत यदि अभियोजन को जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो उसका कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

7. प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कथनों की सत्यता अथवा उनके द्वारा जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है, उनकी सत्यता पर कोई विवाद नहीं किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 को कोई आपत्ति नहीं है, यदि उपर्युक्त मामले की कार्यवाही निरस्त कर दी जाती है।

8. विद्वान ए.जी.ए. ने प्रस्तुत किया कि दोनों पक्षकारों ने न्यायालय के बाहर अपने विवाद का निपटारा कर लिया है, अतः आगे कार्यवाही जारी रखने का कोई कारण नहीं है।



9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नरेंद्र सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य, (2014) 6 एस सी सी 466, पर्वतभाई आहिर उर्फ पर्वतभाई बनाम गुजरात राज्य, (2017) 9 एस सी सी 641, ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2012) 10 एस सी सी 303 और मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायणन, (2019) 5 एस सी सी 688 के मामलों में स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया है कि कुछ संज्ञेय तथा गैर-शमनीय अपराधों के संबंध में भी पक्षकारों के मध्य समझौता किया जा सकता है। इस न्यायालय द्वारा शैफुल्ला और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, [2013 (83) एसीसी 278] में दिए गए निर्णय का भी संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें उपर्युक्त मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि को विस्तार से समझाया गया है।
10. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए, यह न्यायालय इस सुविचारित मत का है कि उपर्युक्त मामले की कार्यवाही को लंबा खींचने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
11. तदनुसार, वाद संख्या 16427/9 वर्ष 2025 (राज्य बनाम अश्वनी एवं अन्य), जो मुकदमा अपराध संख्या 98 वर्ष 2024, धारा 498-ए, 323, 504, 506 भा.दं.सं. तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना ककरौली, जिला मुजफ्फरनगर से उत्पन्न है, की कार्यवाही एतद्वारा निरस्त की जाती है।
12. धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत यह आवेदन तदनुसार स्वीकार किया जाता है।

(न्यायमूर्ति चवन प्रकाश)

12 अगस्त, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एम.डी. फैसल

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!